UPUN010040942026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–3, उन्नाव।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1721/2026

मो0 आलम उर्फ मुल्ली पुत्र राजन उर्फ शमशुद्दीन निवासी वार्ड नं0–9 मोहल्ला शंकर नगर कस्बा व थाना बीघापुर जिला उन्नाव। .....**प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

सरकार उ0प्र0 द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, उन्नाव। .....**विपक्षी**

अपराध सं0–108/2026
धारा–331(4), 305(ए), 317(2) बी0एन0एस0
थाना–मौरांवा, जिला–उन्नाव।

दिनांक–20.07.2026

1– प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मो0 आलम उर्फ मुल्ली की ओर से मुकदमा अपराध सं0–108/2026, अन्तर्गत धारा–331(4), 305(ए), 317(2) बी0एन0एस0, थाना मौरांवा, जिला उन्नाव के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया।

2– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में यह तथ्य उल्लिखित है कि, प्रार्थी को पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमें में फर्जी घटना दिखाकर फंसा दिया गया है। प्रार्थी ने कोई चोरी वादी मुकदमा के यहॉ नहीं की है। वादी द्वारा पुलिस से मिलकर फर्जी घटना दिखायी गयी है। प्रार्थी मोटर साइकिल से अपने भाई सलमान के साथ अपनी बहन के यहॉ देर शाम बछरावॉ रायबरेली जा रहा था। वहीं नदी के पास पुलिस ने प्रार्थी की गाड़ी को रोका, अवैध रूप से रूपये मांगने लगे। प्रार्थी के विरोध करने पर थाना मौरांवा भाई के साथ लिवा लायी और उपरोकत मुकदमें में फर्जी फंसा दिया। प्रार्थी के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। पुलिस द्वारा फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में है। घटना फर्जी बनायी गयी है। इस कारण कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया है। प्रार्थी के मुकदमें में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी उपरोक्त मुकदमें में करीब 3 माह से जिला कारागार में बन्द है। प्रार्थी का मुकदमा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन है। प्रार्थी के वाद उपरोक्त में कोई ऐसी सहादत नहीं है जिस कारण प्रार्थी को दोषसिद्ध किया जा सके। प्रार्थी का मुकदमा अधीनस्थ न्यायालय जे0एम0 पुरवा के यहॉ विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 24.06.2026 को खारिज कर दिया है। प्रार्थी का कोईजमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो दिया गया है, न ही विचाराधीन है, न ही खारिज ही हुआ है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रार्थी को कभी न्यायालय व अन्य किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है। प्रार्थी जमानत से छूटने के बाद न तो कहीं भागेगा और न ही सबूत पक्ष को ही तोड़ेगा। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाये।

3– अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, प्रार्थी की दुकान स्थित मो0 लक्ष्मीपुरम बाबा हास्पिटल के बगल में है। दिनांक 6/7.04.2026 रात को अज्ञात चोरों ने हमारी

दुकान में चोरी कर ली चोर हमारी दुकान से बैटरा (इस्टमैन), लगभग एक बोरी चावल, तीन दर्जन लाइफबाय साबुन, तीन दर्जन लक्स साबुन, सरसों का तेल लगभग 15 ली0 प्लास्टिक डिब्बे में कुछ नवरत्न पाउच, टूथपेस्ट, चाकलेट, करीब 800/–रू0 के सिक्के चोरी कर ले गये।

4– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत का प्रबल विरोध है।

5– जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा सलंग्न प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6– अभियोजन के कथनानुसार अभियुक्त पर वादी के दुकान में घुसकर दुकान से बैटरा (इस्टमैन), लगभग एक बोरी चावल, तीन दर्जन लाइफबाय साबुन, तीन दर्जन लक्स साबुन, सरसों का तेल लगभग 15 ली0 प्लास्टिक डिब्बे में कुछ नवरत्न पाउच, टूथपेस्ट, चाकलेट, करीब 800/–रू0 के सिक्के चोरी करने का आरोप है। एफ0आई0आर0 अज्ञात के विरूद्ध दर्ज है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त दिनांक 08.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बगैर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त मो0 आलम उर्फ मुल्ली द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1721/2026 मुकदमा अपराध सं0–108/2026, अन्तर्गत धारा–331(4), 305(ए), 317(2) बी0एन0एस0 थाना मौरांवा, जिला उन्नाव स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त मो0 आलम उर्फ मुल्ली द्वारा मु0–50,000/–रू0 के निजी बन्धपत्र व समान धनराशि की दो पर्याप्त प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर व निम्न शर्तों के सम्बन्ध में अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा। अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
2. अभियुक्त अपना नाम, निवास स्थान परिवर्तित करने की दशा में न्यायालय को सूचित करेगा।
3. अभियुक्त प्रस्तुत प्रकृति के किसी अन्य चोरी के अपराध में पुनः संलिप्त नहीं होगा।

दिनांक–20.07.2026

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 3,
उन्नाव।